# न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— अशोक कुमार (आरएएस)

प्रकरण संख्या :—38 / 2022 निर्णय दिनांक :— 04.07.2022

## उनवान

1. भूमि लैण्डस्केपर्स प्रा0 लि0 पता—बी. 58 ए यशपथ तिलक नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्री सुयश बैराठी पुत्र श्री महेन्द्र कुमार बैराठी जाति महाजन

——वादी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——प्रतिवादी

**<u>दावा बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती</u>**

वादी को वाद निम्न प्रकार पेश किया कि वादी की कि वादी की कृषि भूमि वाके ग्राम बल्लूपुरा त० चाकसू में स्थित है जिसके खसरा नं० 134, 135, 136, 137, 139, 152, 153, 154 कुल किता 8 कुल रकबा 4.99 हे0 है जिसमें वादी का हिस्सा 103/555 है इसी प्रकार खसरा नं० 138, 142, 143, [illegible] 145, 147, 148, 149, 150, 151 कुल किता 10 कुल रकबा 1.97 हे0 है जिससे वादी का हिस्सा 103 /555 है इसी प्रकार खसरा नं० 115 रकबा 0.[illegible] हे0 सम्पूर्ण है इसी प्रकार खसरा नं० 118,119,120,123,125, 126

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:31:48 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

कुल किता 6 कुल रकबा 4.56 है0 है जिससे वादी का हिस्सा 64/456 है तथा इसी प्रकार खसरा नं० 132, 133 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है० है जिससे वादी का हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमियाँ जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इसके पूर्व स्वामी व खातेदार से कय कर कब्जा प्राप्त किया था जो अलग अलग विक्रय पत्रों द्वारा कय किया गया था जिन समस्त विक्रय पत्रों के आधार पर वादी के हक में नामान्तकरण संख्यां 268 दिनांक 05.03.2014 स्वीकृत किया गया जिस [illegible] एवं उक्त नामान्तकरण के आधार पर जमाबन्दी में लगाये [illegible] नोट में वादी का नाम भूमि लैण्ड स्केपस प्रा० लि० के स[illegible] लैण्ड स्केपस प्रा० लि० दर्ज कर दिया गया है। वादी [illegible] उक्त सम्पूर्ण भूमियों पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है वादी ने [illegible] उक्त भूमियों पर काफी रुपया खर्च कर उक्त भूमि को उन्नत बनाया है अभी गत दिनों यादी को कुछ रूपयों की आवश्यकता हुई तो वादी ने अपनी उक्त भूमि में से कुछ भूमि को विकय करना चाहा तो विकय पत्र करवाने के समय जमाबन्दी के अवलोकन से उक्त त्रुटी सामने आई जिस पर वादी ने उसी समय तहसीलदार महोदय को उक्त त्रुटी से अवगत करवाया तथा उन्हें इसे दुरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया तो उन्होनें रिपोर्ट मंगवाने बाबत कथन कहे इसके बाद से वादी लगातार प्रतिवादी के यहाँ चक्कर लगा रहा है अभी गत दिनांक 24. 01.2022 को प्रतिवादी ने प्रकरण को पुराना बताते हुए अपने स्तर पर दुरस्ती करने से इन्कार कर दिया तथा न्यायालय श्रीमान से आदेश करवाने बाबत निर्देशित कर दिया। प्रतिवादी की इन्कारी को देखते हुये वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय श्रीमान से घोषणा की डिकी प्राप्त कर अपने राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्ती करवाले तथा अपने नाम को लैण्ड स्केपर्स प्रा० लि0 के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:31:48 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

Scanned with CamScanner

भूमि लैण्ड स्केपर्स प्रा० लि दुरस्त करवाले। यह दावे के लिए बाद हैतुक दिनांक 24.01.2022 जब प्रतिवादी ने अपने स्तर पर दुरस्ती से इन्कार कर श्रीमान न्यायालय से आदेश लाने हेतु निर्देशित किया तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है। दावा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का डिकी किया जाकर वादी के नाम को लैण्ड स्केपर्स प्रा० लि० के स्थान वा "भूमि लैण्ड स्केपर्स प्रा० लि० दर्ज किया जावे अर्थात वादी के वर्तमान दर्ज नाम के पूर्व भूमि शब्द जोड़े जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

दावा वादी वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार चाकसू को पत्र कमांक/राजस्व/2022/1020 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा जवाब दावे का जवाब भिजवाने हेतु लिखा गया तो तहसीलदार चाकसू ने आदेश की पालना में पत्र कमांक/आरएनटी/2022/111 दिनांक 30.03.2022 द्वारा दावे का जवाब सरकार भिजवाया गया

जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि जिसे तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट अनुसार नाम दुरूस्त फरमाया जावें। दावे के समर्थन में ग्राम बल्लुपुरा तहसील चाकसू की खसरा नम्बर 134, 135, 136, 137, 139, 152, 153, 154 कुल किता 8 कुल रकबा 4.99 है0 है जिससे बादी का हिस्सा 103/555 है इसी प्रकार खसरा नं० 138, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 कुल किता 10 कुल रकबा 1.97 है0 है जिससे वादी का हिस्सा 103 /555 है इसी प्रकार खसरा नं० 1[illegible] 0.12 है0 सम्पूर्ण है इसी प्रकार खसरा नं० 118, 119, 120, 123, [illegible] 126 कुल किता 6 कुल रकबा 4.56 है0 है जिससे वादी का हि[illegible]ा 64/ 456 है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:31:48 IST
Reason: SelfAttested

...कारी
...(जयपुर)





Scanned with CamScanner

इसी प्रकार खसरा नं० 132, 133 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है० वाके ग्राम बल्लुपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज० में स्थित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बल्लुपुरा तहसील चाकसू के वादग्रस्त भूमि के आराजी जमाबन्दी के खसरा नम्बर 134, 135, 136, 137, 139, 152, 153, 154 कुल किता 8 कुल रकबा 4.99 है0 है जिससे बादी का हिस्सा 103/555 है इसी प्रकार खसरा नं० 138, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 कुल किता 10 कुल रकबा 1.97 है0 है जिससे वादी का हिस्सा 103 /555 है इसी प्रकार खसरा नं० 115 रकबा 0.12 है0 सम्पूर्ण है इसी प्रकार खसरा नं० 118,119,120,123,125, 126 कुल किता 6 कुल रकबा 4.56 है0 है जिससे वादी का हिस्सा 64/ 456 है तथा इसी प्रकार खसरा नं० 132, 133 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है० वाके ग्राम बल्लुपुरा तहसील चाकसू भूमि में अंकित नाम लैण्ड स्केपर्स प्रा0 लि0 के स्थान पर भूमि लैण्ड स्केपर्स प्रा0 लि0 दुरूस्त किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार चाकसू को लिखा जावें, पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:31:48 IST
Reason: SelfAttested

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamScanner